बद्रीनारायण वगैरह 4, राज० सरकार
दावा सं. 59/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
09/03/2021	दिनांक 8/3/2021 का राजकीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना**

बद्रीनारायण वगै0 **बनाम** राजस्थान सरकार वगै0
–वादी– –प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 120 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री सुरेशचन्द शर्मा एडवोकेट– वादी मिनजानिब मुद्दई व – प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण को राजस्व ग्राम जाटाहाला पटवार हल्का मांवण्डा कलां तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 12.92 हैक्ट. में से उ0पूव दिशा में खसरा नम्बर 534, 537 की दक्षिणी सीमा के सहारे, व खसरा नम्बर 540 की पश्चिम सीमा के सहारे, व खसरा नम्बर 542 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 5.03 हैक्ट. भूमि व खसरा नम्बर 534 रकबा 0.73 हैक्ट. कुल रकबा 5.76 हैक्ट. का वादीगण 1/1 लगायत 1/5 का 1/8 हिस्से का, वादी सं. 2 को 1/8 हिस्से का, वादी सं. 3 को 1/8 हिस्से का, वादी सं. 4 को 1/24 हिस्से का ,वादी सं. 5/1 लगायत 5/9 को 1/24 हिस्से का, वादी सं. 6,7,8,9 प्रत्येक को 1/24 हिस्से का, वादी सं. 10/1 को 1/12 हिस्से का, वादी सं. 10/2, 10/3 को प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, वादी सं. 11 को 1/36 हिस्से का, वादी सं. 12 को 1/12 हिस्से का, वादी 14 लगायत 19 प्रत्येक का 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख.न. 533 मे उपरोक्त तरमीम की जाकर पृथक से खसरा नम्बर दिया जावें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

निज..............×..................मुबलिग..............×..................बाबत..............×..............

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह..................×..........................फीसदी सलाना

आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..................×..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09 माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी [illegible] पर [illegible] [illegible] [illegible] हुकमनामा मुतफ[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथना, सीकर
पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 59/2017 (जीसीएमएस नं0 2017/00081)

1.बद्रीनारायण पुत्र माधा (मृतक)
1/1 पार्वती पत्नी बद्रीनारायण
1/2 कमला पुत्री बद्रीनारायण
1/3 जयप्रकाश पुत्र बद्रीनारायण
1/4 इन्द्राज पुत्र बद्रीनारायण
1/5 प्रदीप कुमार पुत्र बद्रीनारायण
समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी कुम्हारीवाला तन मावण्डा कलां तह. नीमकाथाना जिला सीकर।
2.जगदीश पुत्र माधा
3.कैलाश पुत्र माधा
4.हजारीलाल पुत्र माला
5.पालाराम पुत्र मूला (मृतक)
5/1 कोयली देवी पत्नी पालाराम
5/2 शिम्भूदयाल पुत्र पालाराम
5/3 नागरमल पुत्र पालाराम
5/4 सुरेश पुत्र पालाराम
5/5 मोहन पुत्र पालाराम
5/6 बुगला पुत्री पालाराम
5/7 मंजूदेवी पुत्री पालाराम
5/8 विमला देवी पुत्री पालाराम
5/9 मायादेवी पुत्री पालाराम
समस्त जाति माली निवासी ढाणी कुम्हारिवाला तन मावण्डा कलां तह. नीमकाथाना जिला सीकर।
6.सुगनराम पुत्र मूला
7.ग्यारसीलाल पुत्र मूला
8.मक्खनलाल पुत्र मूला
9.बाबूलाल पुत्र मूला
10. धापली बेवा बोदू (मृतक)
10/1 गिरधारी पुत्र बोदूराम
10/2 शारदा पत्नी रामकुवार
10/3 तारा देवी पुत्री रामकुवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी कुम्हारिवाला तन मावण्डा कलां तह. नीमकाथाना जिला सीकर।

11. अशोक पुत्र रामकुवार
12. भगवानाराम पुत्र बोदूराम
13. शिवकुमार पुत्र भगवानाराम
14. पतासी बेवा सत्यनारायण
15. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सत्यनारायण
16. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण
17. जितेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण
18. विशाला देवी पुत्री सत्यनारायण
19. माया देवी पुत्री सत्यनारायण

समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी कुम्हारीवाला तन जाटाहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर (राज.)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

दावा पत्र बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1.श्री सुरेश कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक –09/03/2021

वाद वादीगण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) स्थित भूमि ख.नं. 634/2 रकबा 21 बीघा ख.नं. 634/3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 39 बीघा 10 स्वा भूमि माधा, गणेश पुत्रगण भागू हिस्सा बराबर निर्णय दिनांक 22.07.1968 को मुकदमा नं. 4641 न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा नियमन की गई थी व पैनेल्टी आदि की राशि 337 रूपये 24 पैसे निर्धारित की गई थी। पैनेल्टी आदि की राशि 337 रूपये 24 पैसे दिनांक 08.04.69 को जरिये रसीद सं. 25 माधा, गणेश ने जमा करवा दी थी। उक्त निर्णय दिनांक 22.07.1968 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण सं. 182 दिनांक 22.04. 1975 को भरकर ग्राम पंचायत मावण्डा कलां के समक्ष प्रस्तुत किया जो ग्राम

Signature Not Verified

Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

पंचायत मावण्डा कलां द्वारा तस्दीक किया गया परन्तु नामान्तरकरण सं. 182 के तस्दीक होने बाद जमाबन्दी में अमल के समय नामान्तरकरण में कांट छांट की जाकर खातेदारी ख.नं. 634/2 रकबा 21 बीघा के स्थान पर 2 बीघा 5 बिस्वा व ख.नं. 634/3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 14 बीघा 10 बिस्वा की दर्ज की गई जबकि माधा, गणेश के नाम 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि निकमन की गई थी व उक्त भूमि पर माधा, गणेश काबिज काश्त थे। माधा, गणेश फोत हो चुके हैं उनकी मृत्यु के बाद 39 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि पर उनके वारिसान वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। निर्णय अनुसार 22 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी नामान्तरकरण में कांट छांट के कारण कम दर्ज हो गयी। उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम जाटाहाला में स्थित है व उक्त भूमि ख.नं. 634/2 व 634/3 के नये ख.नं. 535 रकबा 0.01 है. ख.नं. 536 रकबा 0.01 है. ख.नं. 537 रकबा 4.21 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.23 है. बने जिनकी खातेदारी वादीगण नं. 1 से 3 हिस्सा 3/8 वादीगण नं. 4 से 9 व बिनारी हिस्सा 1/4 वादीगण नं. 10 से 12 हिस्सा 3/16, वादी नं. 13 हिस्सा 1/16, वादी नं. 14 से 19 हिस्सा 1/8 दर्ज है। बिनारी फोत हो चुकी है। जिसके वारिसान 4 से 9 है। वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि के अलावा भूमि ख.नं. 533 में से रकबा 5.03 है. पूर्व उत्तरी ओर पर व ख.नं. 534 रकबा 0.73 सम्पूर्ण कुल 5.76 है. भूमि पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ग्राम जाटाहाला तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि ख.नं. 533 में से 0.50 है. भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत नायब तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वादी कैलाश को दिनांक 20.04.2017 के लिए भेजा गया नोटिस 91 रा.भू.रा.अ. मुकदमा नं. 14/2017 मिलने पर प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर वादीगण को नकल नामान्तरकरण नकल जमाबन्दी लेने पर ज्ञात हुआ कि खातेदारी निर्णय दिनांक 22.07.1968 के आधार पर सम्पूर्ण भूमि भी दर्ज नहीं की गई है सिर्फ 4.23 है. की दर्ज की गई है। वादीगण निर्णय दिनांक 22.07.1968 के आधार पर 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि की खातेदारी दर्ज कराने के कानूनन अधिकारी है। जिसमें से 4.23 है. की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है। वह कम की जाकर भूमि ख.नं. 533, 534 में 5.76 है. भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम जमाबन्दी में दर्ज हस्से अनुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 22.07.1968 का निर्णय यथावत है। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा नोटिस 91 रा.भू.रा.अ. की आड में भूमि ख.नं. 533 व 534 में से 5.76 है. भूमि पर से वादीगण को जबरन बेदखल कर दिया जावेगा तो वादीगण अपने बुजुर्गों के समय से लगातार कब्जा काश्त की भूमि से महरूम हो जावेंगे जिससे वादीगण को सख्त हकतलफी होगी। इस बाबत प्रतिवादी नं. 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करवाया जाना आवश्यक है। वाद कारण निर्णय दिनांक 22.07.1968 [illegible] 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं करने [illegible] द्वारा वादीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल [illegible] के अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

कर्मचारियों द्वारा 91 का नोटिस देकर जाने पर उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी देने से अन्दर क्षेत्र न्यायालय पैदा हुआ है। अतः वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वादीगण को निर्णय दिनांक 22.07.1968 के आधार पर 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से कम रही भूमि स्थित ग्राम जाटाहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में ख.नं. 533 में से 5.03 है. व खसरा नं. 534 रकबा 0.73 है. सम्पूर्ण कुल 5.76 है. भूमि का ग्राम जाटाहाला स्थित भूमि ख.नं. 535, 536, 537 में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी नं. 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे राजस्व ग्राम जाटाहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) स्थित भूमि ख.नं. 533 रकबा 5.03 है. ख.नं. 534 रकबा 0.73 है. कुल 5.76 है. भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में कोई मुजाहमत न करे, न वादीगण को जबरन बेदखल करे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। बावजूद सम्यक तामील प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र के समर्थन में निर्णय न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना मुकदमा नम्बर 4641 तारीख निर्णय 22.07.1968 (प्रदर्श–1), नामान्तरकरण संख्या 182 (प्रदर्श–2), जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खसरा नम्बर 535 से 537 ग्राम जाटाहाला (प्रदर्श–3), जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खसरा नम्बर 533, 534 (प्रदर्श–4), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–5), नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–6) पेश किये हैं। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में पडौसी एवं सीवजोड़ खातेदारान के लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ–पत्र रिछपाल पुत्र स्व. सांवलराम जाति माली निवासी बालाजी नगर तन जाटाहाला (पीडब्ल्यू–1), महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश जाति माली निवासी बालाजी नगर तन जाटाहाला (पीडब्ल्यू–2), जगमोहन पुत्र स्व. गुल्लाराम जाति माली निवासी जाटाहाला (पीडब्ल्यू–3) तथा वादीगण जगदीश पुत्र माधा (पीडब्ल्यू–4), कैलाश पुत्र माधा (पीडब्ल्यू–5), राजेन्द्र पुत्र सत्यनारायण (पीडब्ल्यू–6), सुगनचन्द पुत्र मूला (पीडब्ल्यू–7), भगवानाराम पुत्र बोदूराम (पीडब्ल्यू–8) के लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ–पत्र पेश किये जो बाद परीक्षण शामील पत्रावली हैं। तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार नीमकाथाना ने जरिये पत्रांक भू.अ./2020/2579 दिनांक 16.07.2020 प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। जिसमें वाद पत्र की समस्त मदों को स्वीकार किया हैं तथा नामान्तरकरण संख्या 182 की परत सरकार में कांट–छांट किया जाना तथा बाद कांट–छाट निर्णय तहसीलदार दिनांक 22.07.1968 से कम रकबा अंकित करना तथा खसरा नम्बर 537 में वादीगण के आवासीय मकानात बने होना तथा खसरा नम्बर 533 व 534 में वादीगण का कब्जा काश्त होना अंकित किया गया हैं। तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट के साथ मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Breesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

रिपोर्ट पटवारी हल्का, नामान्तरकरण 182, जमाबन्दी सम्वत 2028–2031 प्रस्तुत की हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण का कथन है कि तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश दिनांक 22.07.1968 द्वारा ग्राम मावण्डा कलां के भूमि ख0नं0 634/2 रकबा 21 बीघा, खसरा नंबर 634/3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा कुल 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज माधा, गणेश पुत्रगण भागु हिस्सा बराबर नियमन की गई थी एवं पनेल्टी 337 रूपये 24 पैसे निर्धारित की गई थी जो रसीद सं. 25 दिनांक 08.04.1969 को जमा करवा दी गई थी। नियमन आदेश की पालना में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं. 182 भरा गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया लेकिन ना0क0 में कांट छांट कर ख.नं. 634/2 रकबा 21 बीघा के स्थान पर 14 बीघा 5 बिस्वा व ख.नं. 634/3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 14 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दी जबकि 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि नियमन हुई थी एवं 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ही वादीगण के पूर्वज माधा व गणेश काबिज काश्त चले आ रहे थे। इसके फौत होने पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। भूमि वर्तमान में नया रास्व ग्राम बनने से ग्राम जाटाहाला में स्थित है। पुराने ख.नं. 634/2 व 634/3 के नये ख.नं. 535 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 536 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 537 रकबा 4.21 हैक्टे. कुल किता 3 रकबा 4.23 हैक्टे. बने है जिसमें वादीगण 1 से 3 हिस्सा 3/8 पर वादीगण सं. 4 से 9 हिस्सा 1/4 व वादीगण सं. 10 से 12 हिस्सा 3/16 वादी सं. 13 हिस्सा 1/16, वादी सं. 14 से 19 हिस्सा 1/8 दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि के अलावा भूमि ख.नं. 533 में से रकबा 5.03 हैक्टे. पूर्वी उत्तर और पर व ख.नं. 534 रकबा 0.73 सम्पूर्ण कुल 5.76 हैक्टे. भूमि पर लगातार काबिज चले आ रहे हैं। ख.नं. 533 में से रकबा 0.50 हैक्टे. पर अतिक्रमण करने बाबत नायब तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा नोटिस भी दिया गया है जिससे भी हमारे कब्जे काश्त की पुष्टि होती है। नामान्तरकरण, नियमन आदेश, पैनल्टी रसीद पेश की है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मावण्डा कलां से भी नामान्तरकरण में कांट छांट की जाना व ख.नं. 533, 534 में हमारे आवासीय मकान व कृषि जोत होने की पुष्टि होती है। पड़ौसी खातेदारों के शपथ पत्र पेश किये है जिससे भी मेरा दावा साबित होता है। अतः दावा डिक्री किया जावे एवं ग्राम जाटाहाला के भूमि ख.नं. 533 में से उ0पू0 दिशा में खसरा नं0 534, 537 की दक्षिणी सीमा के सहारे खसरा नं0 540 की पश्चिमी सीमा के सहारे, खसरा नं0 542 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 5.03 हैक्टे. भूमि की अलग तरमीम कर अलग खसरा नम्बर कायम किया जाकर व खसरा नंबर 534 रकबा 0.73 हैक्टे. सम्पूर्ण में वादीगण 1/1 लगायत 1/5 को 1/8 हिस्से का, वादी 2 को 1/8, वादी 3 को 1/8, वादी [illegible] 24, वादी 5/1 लगायत 5/9 को 1/24, वादी 6,7,8,9 को प्रत्येक [illegible] हिस्सा, वादी 10/1 को 1/12, वादी 10/2, 10/3 को प्रत्येक [illegible] वादी 11 को 1/36,

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

वादी 12 को 1/12 हिस्सा, वादी 14 लगायत 14 से 19 प्रत्येक को 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेज एवं साक्ष्य व रिपोर्ट पटवारी हल्का मावण्डा कलां पर गौर किया गया। प्रस्तुत नियमन आदेश दिनांक 22.07.1968 के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम मावण्डा कलां में माधा, गणेश पुत्रगण भागू को भूमि ख.नं. 634/2 रकबा 21 बीघा व ख.नं. 634/3 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा कुल 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि सम्वत 2016 से 2028 तक कब्जा काश्त होने के आधार पर नियमन हुई थी तथा दफा 91 के तहत पैनेल्टी भी कायम की गई थी जो रसीद सं. 25 दिनांक 08.04.1969 को जमा भी करवायी गयी है। उक्त नियमन आदेश की अनुपालना में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं. 182 भरा गया है जो ग्राम पचांयत मावण्डा कलां द्वारा स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 22.04.1975 के अवलोकन से यह जाहिर है कि नामान्तरकरण में दर्ज ख.नं. 634 का रबा 122 बीघा दर्ज है तथा माधो, गणेश पुत्र भागु कौम माली को 39 बीघा 10 बिस्वा भूमि नियमन हुई है किन्तु नामान्तरकरण में 14 बीघा 10 बिस्वा कांट छांट कर दर्ज किया गया है उक्त नामान्तरकरण का जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 में अमल करते समय ख.नं. 634 में 17 बीघा 15 बिस्वा माधो, गणेश पिता भागू के नाम दर्ज किये जाने का नोट अंकित है। प्रस्तुत नामान्तरकरण, मिलान क्षेत्रफल व रिपोर्ट पटवारी हल्का मावण्डा कलां से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नामान्तरकरण में कांट छांट की गई है सम्भवतया यह त्रुटि मूल निर्णय दिनांक 22.07.1968 में खसरा नम्बर ६३४/२ में २१ (21 बीघा) अंकित हैं। जिसको २१ के स्थान पर २। (2 बीघा 5 बिस्वा) समझने से हुयी हैं। जमाबन्दी सं. 2028 से 2031 में अंकित नोट अनुसार रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा आदिनांक वादीगण के नाम राजस्व ग्राम जाटाहाला के ख.नं. 535 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 536 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 537 रकबा 4.21 हैक्टे. के मैट्रिक माप के बराबर है। रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह भी जाहिर होता है कि ख.नं. 533 में वादीगण 1 ता 3 के आवासीय मकान निर्मित है एवं ख.नं. 533 व 534 को मौके पर कृषक जोत में कब्जा पड़त सहरा तब्दील किया हुआ है तथा प्रस्तुत शपथ पत्र वादीगण भगवानाराम पुत्र बोदूराम, सुगनचन्द पुत्र मूलाराम, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सत्यनारायण, कैलाशचन्द पुत्र माधा जगदीश पुत्र माधा तथा सींव जोड़ खातेदार रिछपाल पुत्र सांवलराम माली, महेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश माली, जगमोहन पुत्र गुल्लाराम माली से भी राजस्व ग्राम जाटाहाला की भूमि खसरा नंबर 533 रकबा 5.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 534 रकबा 0.73 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 5.76 हैक्टेयर पर वादीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त की पुष्टि होती है। अतः प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेज एवं साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि नियमन आदेश दिनांक 22.07.1968 अनुसार वादीगण के पूर्वज माधो गणेश पिता भागू के नाम 39 बीघा 10 बिस्वा का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था जो कांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: Self Attested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

छांट कर कम रकबे का भरा गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही ग्राम जाटाहाला की भूमि ख.नं. 533 रकबा 5.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 534 रकबा 0.73 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 5.76 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता तथा वादीगण को राजस्व ग्राम जाटाहाला पटवार हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नंबर 533 रकबा 12.92 हैक्टे0 में से उ0पू0 दिशा में खसरा नं0 534, 537 की दक्षिणी सीमा के सहारे, व खसरा नं0 540 की पश्चिमी सीमा के सहारे, व खसरा नं0 542 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 5.03 हैक्टे. भूमि व खसरा नंबर 534 रकबा 0.73 हैक्टेयर कुल रकबा 5.76 हैक्टेयर का वादीगण 1/1 लगायत 1/5 को 1/8 हिस्से का, वादी 2 को 1/8 हिस्से का, वादी 3 को 1/8 हिस्से का, वादी 4 को 1/24 हिस्से का, वादी 5/1 लगायत 5/9 को 1/24 हिस्से का, वादी 6,7,8,9 को प्रत्येक को 1/24 हिस्से का, वादी 10/1 को 1/12 हिस्से का, वादी 10/2, 10/3 को प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, वादी 11 को 1/36 हिस्से का, वादी 12 को 1/12 हिस्से का, वादी 14 लगायत [redacted] 19 प्रत्येक को 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 533 में उक्तानुसार तरमीम की जाकर पृथक से खसरा नम्बर दिया जावें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्ची डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

C.A.

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested